न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– गजेन्द्र सिंह
तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का गुड़ा
बनाम
श्री राहुल, संदीप पुत्र सीताराम जाति माली निवासी गुड़ा
तहसील उदयपुरवाटी
अंर्तगत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णय:–

प्रकरण संख्या:– 40/22 | दिनांक 31.05.2022

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गुड़ा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2079 में मौजा ग्राम गुड़ा पटवार हल्का गुड़ा के हाल भूमि खसरा नम्बर 200 कुल रकबा 0.4700 है0 किस्म चाही 1 रकबा 0.43 है. व बंजड डोल रकबा 0.04 है. में से 0.12 है0 सरकारी भूमि पर श्री राहुल, संदीप पुत्र सीताराम जाति माली निवासी गुड़ा ने अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामिल ईतला के अनुपस्थित रहा। उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थीगण को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप अतिकमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम गुड़ा पटवार हल्का गुड़ा के हाल भूमि खसरा नम्बर 200 कुल रकबा 0.4700 है0 किस्म चाही 1 रकबा 0.43 है. व बंजड़ डोल रकबा 0.04 है.सरकारी भूमि पर श्री राहुल, संदीप पुत्र सीताराम जाति माली निवासी गुड़ा को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 1.00 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 50/– रुपये (अक्षरं रू. पच्चास मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू. अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज **दिनांक** 31.05.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

[illegible] 2022-23 [illegible] 40
[illegible] 50/-
कायमी की गई

(गजेन्द्र सिंह)
तहसीलदार उदयपुरवाटी
तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं